



2026:AHC:19115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3608, वर्ष 2025

अनिरुद्ध सिंह @ अनिरुद्ध
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : विजय कुमार कश्यप
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को यह आदेश दिया जाए कि वे ग्राम तुरी, पोस्ट बडौसा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि गाटा संख्या 4551Mi/क्षेत्र 0.1490 हेक्टेयर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ और राजस्व अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर दोषी व्यक्तियों (प्रतिवादी संख्या 7 से 10) के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें।"
"II. परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3/कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला बांदा को याचिकाकर्ता के दिनांक 16.10.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।"
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विचाराधीन भूखंड राजस्व अभिलेखों में 'बंजर' के रूप में दर्ज है और निजी प्रतिवादी उस पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

